प्रेषक

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
वन विभाग।

सेवा मे

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
पंचकूला।

यादि कमांक 11–व–5–2016/ 8205
चण्डीगढ़ दिनांक 18/5/2016

विषयः **Diversion of 0.43 ha. of forest land in favour of Executive Engineer, Provincial Division No. 2, PWD, B&R Br. Sonipat for construction of side drain along Sonipat-Rathdhana-Narela road km. 2.5 to 5.30 L/side and km 2.50 to 4.00 R/side, under forest and District Soniapt. (D-III-6571).**

संदर्भः– आपका पत्र कमांक डी–III–6571/168, दिनांक 18.04.2016.

कृपया उपर्युक्त विषय पर आप द्वारा संदर्भाधीन 0पत्र द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा 2 के अधीन अनुमति मांगी गई है।

2. विभाग के प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् उपर्युक्त विषय हेतू **0.43 ha.** वन भूमि के उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो को पूरा करने पर प्रदान की जाती है:–

(i) वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।

(ii) प्रस्ताव के अनुसार इस स्कीम में कोई वृक्ष बाधक नही है। अतः कोई वृक्ष काटा नही जायेगा।

(iii) प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार **Badkhalsa road km. 0-2 L&R** पर प्रयोक्ता एजैन्सी से प्राप्त **12,16,199/–रू (Twelve lac sixteen thousand one hundred ninety nine only.)** की राशि से 860 पौधे लगा कर किया जायेगा। प्रतिपूर्ति पौधरोपण इस पत्र के साथ जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर– हो जाना चाहिए।

(iv) वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नही किया जायेगा।

(v) **Supreme Court** के आदेशानुसार जब कभी भी **NPV** की राशि बढाई जायेगी तो उस बढी हुई **NPV** की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजैन्सी बाध्य होगी।

(vi) साथ लगते वन और वन भूति को किसी तरह का कोई नुकसान नही पहुचाया जायेगा और साथ लगते हुए वन और भूमि को बचाने के लिए सभी प्रयत्न किये जायेगें।

(vii) स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्तिथि में किसी अन्य एजैन्सी, विभाग या व्यक्ति विशेष का हस्तांतरित नही किया जायेगा।

(viii) राज्य सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नही जायेगा।

(ix) वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नही लगाया जायेगा।

(x) प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किये जायेगे।

(xi) जिसके लिए प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा वर्तमान दरो पर धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा श्रमिको तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानतः वैकल्पिकईन्धन उपलब्ध करवायेगी ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सके।

(xii) प्रयोक्ता एजैन्सी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षण द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणि समहू के संरक्षण तथा परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी।

(xiii) कूडा कर्कट निपटान वन विभाग द्वारा जारी योजना के अनुसार किया जायेगा।

(xiv) अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवो के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय–समय पर लगाई जा सकती है।

(xv) प्रयोक्ता एजैन्सी उपरोक्त शर्तो की वार्षिक स्व–अनुपालना रिपोर्ट प्रधान मुख्य वन संरक्षक हरियाणा को नियमित रूप से भेजेगी।

(xvi) यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेने विभाग की जिम्मेवारी होगी।

17/5/16
विशेष सचिव,
कृतेः प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
वन विभाग।

प्रतिलिपिः–